

## परसपेक्टवि: सांस्कृतिक वरिसत की रक्षा करना

### प्रलिमिंस के लिये:

[भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण \(ASI\)](#), पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृत अधिनियम, 1972, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

### मेन्स के लिये:

भारत में चोरी हुई प्राचीन वस्तुएँ: वर्तमान परदृश्य, चुनौतियाँ, आगे की राह

### प्रसंग:

हाल ही में संसदीय पैनल ने [चोरी हुए पुरावशेषों](#) की बरामदगी के लिये एक समर्पित [सांस्कृतिक वरिसत](#) दस्ते (बहु-विभागीय टास्क फोर्स) की स्थापना की सिफारिश की, जिसमें अधिकारियों की एक टीम होगी, जिन्हें पुनर्प्राप्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा सकता है।

टास्क फोर्स में गृह मंत्रालय (पुलिस और जाँच), विदेश मंत्रालय (विदेशी सरकारों के साथ समन्वय के लिये), [भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण \(ASI\)](#) के वरिष्ठ अधिकारी तथा वरिष्ठ विद्वान एवं विशेषज्ञ शामिल होने चाहिये।

इटली, कनाडा, नीदरलैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड, स्पेन और फ्रांस जैसे कई देशों ने विशेषज्ञों की एक टीम के साथ समर्पित सांस्कृतिक वरिसत दस्तों की स्थापना की है जो चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं को ट्रैक करने और उनकी पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

### पुरावशेष:

#### परिचय:

- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृत अधिनियम, 1972 जो 1 अप्रैल, 1976 को लागू हुआ, ऐसे "पुरावशेष" जो कम-से-कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हैं, को वस्तु या कला के रूप में परिभाषित करता है।
  - इसमें सिकके, मूर्तियाँ, पेंटिंग, पुरालेख, पृथक लेख आदि वस्तुएँ शामिल हैं जो विज्ञान, साहित्य, कला, धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक लोकाचार या ऐतिहासिक राजनीति को चित्रित करती हैं।
- "पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज़ जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या साँदर्यवादी मूल्य के हैं" और जनिकी अवधि "75 वर्ष से कम नहीं है", को पुरावशेष के रूप में शामिल किया जाता है।

#### संरक्षण पहल:

##### भारतीय:

- भारत में संघ सूची की मद- 67, राज्य सूची की मद- 12 तथा संविधान की समवर्ती सूची की मद- 40 देश की वरिसत से संबंधित हैं।
- स्वतंत्रता से पहले अप्रैल 1947 में पुरावशेष (नरियात नयितरण) अधिनियम यह सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया था कि बिना लाइसेंस के किसी भी पुरावशेष का नरियात नहीं किया जा सकता है।
- प्राचीन स्मारकों और पुरातत्त्व स्थलों को विनाश तथा दुरुपयोग से बचाने हेतु वर्ष 1958 में प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल व अवशेष अधिनियम बनाया गया था।

##### वैश्विक:

- [यूनेस्को](#) ने सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, नरियात और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा रोकने के साधनों पर 1970 कन्वेंशन तैयार किया।
- [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद](#) ने भी संघर्ष वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिक वरिसत स्थलों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2015 और 2016 में परस्ताव पारित किया।

## भारत में लुप्त पुरावशेषों का वर्तमान परिदृश्य:

- **सूचना के अधिकार (RTI)** अधिनियम के तहत प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित और अनुरक्षित 3,696 स्मारकों में से 486 पुरावशेष गायब बताए गए हैं।
- ASI सूची के अनुसार, वर्ष 1976 के बाद से 486 में से 322 पुरावशेषों के गायब होने की सूचना मिली थी, उसके बाद भारत ने पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियों अधिनियम, 1972 लागू किया था।
- स्मारक और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मशिन (NMMA) ने कुल अनुमानित 58 लाख में से केवल 16.8 लाख पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण किया है, जो अनुमानित कुल 58 लाख पुरावशेषों का लगभग 30% है।
- ASI के अधीन स्मारक और स्थल पूरे देश में पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों की कुल संख्या का "छोटा प्रतिशत" है।
  - लुप्त पुरावशेषों के खतरे को यूनेस्को द्वारा भी वशिलेषित किया गया है। अनुमान है कि "1989 तक भारत से 50,000 से अधिक कला वस्तुओं की तस्करी की गई है।"
- ASI के अनुसार, वर्ष 2014 में 292 और वर्ष 1976 से 2013 के बीच 13 पुरावशेष वदिशों से भारत वापस लाए गए हैं।
- भारत के प्रधानमंत्री की हालिया अमेरिका यात्रा के बाद अमेरिका द्वारा कुल 105 पुरावशेष भारत को सौंपे गए।

### BACK FROM FOREIGN SHORES

 <p><b>NATARAJA</b> <b>Time Period:</b> Middle Chola, 10th CE Bronze. Four armed. Lower right is in abhaya mudra while the lower left is thrown across his body; the upper left holds a flame in an open palm, the right hand carries a Damaru.</p>	 <p><b>KANKALAMURTI KADAYAM</b> <b>Time Period:</b> 11 CE Bronze. Fearsome aspect of Siva. 4-armed holding Damaru and Trishul in the upper hands. A dog is shown on the right and a dwarf figure on the left. Siva is holding a bowl in the lower left hand.</p>	 <p><b>CHILD SAMBANDAR</b> <b>Time Period:</b> 12 CE Bronze. Dancing on a lotus, with one leg raised. His right hand points towards the heavens, while his left is extended gracefully in the elephant trunk gesture.</p>
 <p><b>NADIKESWARA KADAYAM</b> <b>Time Period:</b> 11 CE Bronze. Standing with folded arms holding an axe and deer on the upper arms. Profusely ornamented.</p>	 <p><b>FOUR ARMED VISHNU</b> <b>Time Period:</b> 12 CE Bronze. Standing, holding chakra and shankh in upper hands. Lower right in abhaya mudra and lower left in kati hasta.</p>	 <p><b>SIVA &amp; PARVATI</b> <b>Time Period:</b> 12 CE Bronze. Standing. Siva is four-armed, and is gently embracing Parvathi with his left hand. Beautifully ornamented.</p> <p><b>STANDING CHILD SAMBANDAR</b> <b>Time Period:</b> 12 CE Bronze. Standing. His raised hand points to Shiva's heavenly abode at Mount Kailash.</p>

## भारत में पुरावशेषों से संबंधित चुनौतियाँ:

- **अवैध व्यापार और तस्करी:** सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक पुरावशेषों का अवैध व्यापार तथा तस्करी है। पुरातात्विक स्थलों एवं मंदिरों से कई मूल्यवान कलाकृतियाँ लूट ली जाती हैं और देश से बाहर उनकी तस्करी की जाती है।
- **दस्तावेजीकरण का अभाव:** पुरावशेषों का उचित दस्तावेजीकरण उनके संरक्षण और चोरी की स्थिति में पुनर्प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण है। हालाँकि दस्तावेजीकरण पर्याप्तों में कमियाँ हैं, जिससे चोरी हुई कलाकृतियों की पहचान करने और तथा उनकी पुनर्प्राप्ति में कठनाइयाँ आती हैं।
- **अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:** कई संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों में उचित सुरक्षा उपायों का अभाव है, जिससे वे पुरावशेषों की चोरी और चोरी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

- जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का अभाव: सांस्कृतिक वरिसत के महत्त्व और इसकी सुरक्षा में भूमिका के बारे में स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता की कमी चोरी तथा तस्करी की घटनाओं में योगदान कर सकती है।
- अपर्याप्त धन: पुरावशेषों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये दस्तावेजीकरण, अनुसंधान तथा पुनर्प्राप्ति प्रयासों हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त धन इन आवश्यक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- वदिशों से पुरावशेषों को पुनः प्राप्त करने में चुनौतियाँ: वदिशों से चोरी हुए पुरावशेषों को पुनः प्राप्त करने में जटिल कानूनी और राजनयिक प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को मेज़बान देश के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है तथा यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों एवं सम्मेलनों के अधीन हो सकता है।
- व्यापक डेटाबेस का अभाव: प्रभावी प्रबंधन और पुनर्प्राप्ति प्रयासों के लिये पुरावशेषों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस होना आवश्यक है। ऐसे डेटाबेस की अनुपस्थिति के कारण चोरी की गई वस्तुओं की पहचान तथा उन्हें ट्रैक करने में समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

## आगे की राह

- स्थानीय जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी: पैल सांस्कृतिक कलाकृतियों की चोरी और तस्करी को रोकने में स्थानीय जागरूकता तथा सामुदायिक चेतना की भूमिका पर ज़ोर देता है।
  - समुदाय को पुरावशेषों से संबंधित चोरी या संदिग्ध गतिविधियों की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। स्थानीय जागरूकता से सांस्कृतिक वरिसत के और अधिक नुकसान को रोकने में सहायता मिल सकती है।
- कला एवं संस्कृति संवर्द्धन हेतु बजट में वृद्धि: पैल का कहना है कि चीन, अमेरिका, सगिापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये अपने बजट का उच्च प्रतिशत आवंटित करते हैं।
  - पैल भारत में सांस्कृतिक वरिसत के संरक्षण के लिये बजट बढ़ाने की सफारिश करता है।
- नागरिक समाज संगठनों और CSR की भूमिका: सांस्कृतिक वरिसत के संरक्षण और प्रचार के प्रयासों को मज़बूत करने के लिये पैल नागरिक समाज संगठनों तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल को शामिल करने का सुझाव देता है।
  - ये संस्थाएँ वरिसत के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं और संरक्षण प्रयासों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकती हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?]:**

**प्रश्न 1.** भारतीय कला वरिसत की रक्षा करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2018)

**प्रश्न 2.** भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों एवं उनकी कला की कल्पना को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चा कीजिये। (2020)